गोपनीय / मुहरबंद

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख।।

विषयः– राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक–मं0मं0–01 / मंत्रिपरिषद्–01 / 2024–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना में खेल–कूद से संबंधित आधारभूत संरचना हेतु खेल विभाग को दायित्व दिया गया है।इसके अंतर्गत राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं का निर्माणकिया जाना है।

3. सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में जनसंख्या एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विद्या को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। यदि पूर्व से आधारभूत संरचना मौजूद है तो उन्हें विकसित करने हेतु अथवा नये सिरे से आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण कर इन संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। इसमें सभी प्रचलित खेल विद्या हेतु मैदान के अतिरिक्तखिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, दल प्रबंधकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के लिए आवासन एवं अन्य सुविधाये होगी। इन अवसंरचनाओं के निर्माण से पूरे राज्य में खेल का माहौल विकसित होगा।

4. उक्त संरचनाओं के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के उपरांत उक्त भूमि पर खेल अवसंरचनाओं के निर्माण एवं रख–रखाव हेतुअग्रतर कार्रवाई प्रशासी विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

5. सैद्धांतिक सहमति के उपरांत उपरोक्त निर्माण के वास्तविक कार्यान्वयन के पूर्व वित्त विभाग की सहमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाएगी एवं सक्षम स्तर से तद्नुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उपर्युक्त कंडिका–2, 3 एवं 4 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

BRajendra 14.3.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर.),
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–01 / खेल. 1–03 / 2024.344. / पटना, दिनांक–14.3 / 2024

प्रतिलिपि :–संलेख की 50 (पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक की कार्यावली में सम्मिलित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालयविभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित।

BRajendra 14.3.2024

सरकार के प्रधान सचिव।

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	**खेल विभाग**
2.	संचिका संख्या :–	01/खेल. 1–03/2024
3.	प्रस्ताव का विषय :–	राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय/मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं
11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	आवश्यक नहीं

12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	आवश्यक नहीं
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	आवश्यक नहीं
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं

18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:–	आवश्यक नहीं
(क)	(i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
	(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
	(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख)	(i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
	(ii) कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग)	क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?	आवश्यक नहीं
20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	हाँ

21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ
23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस नोट 50 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 50(पचास) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

Rajendra 14.3.2014

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक–मं0मं0–01 / मंत्रिपरिषद्–01 / 2024–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव है।

सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में जनसंख्या एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विद्या को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। यदि पूर्व से आधारभूत संरचना मौजूद है तो उन्हें विकसित करने हेतु अथवा नये सिरे से आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण कर इन संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। इसमें सभी प्रचलित खेल विद्या हेतु मैदान के अतिरिक्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, दल प्रबंधकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के लिए आवासन एवं अन्य सुविधाये होगी। इन अवसंरचनाओं के निर्माण से पूरे राज्य में खेल का माहौल विकसित होगा।

Rajendra 14.3.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के प्रधान सचिव,
खेल विभाग,
बिहार, पटना।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

–: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :–

विभाग का नाम :– खेल विभाग।

संचिका संख्या :– 01/खेल. 1–03/2024

विषय :– राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।	सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में जनसंख्या एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विद्या को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। यदि पूर्व से आधारभूत संरचना मौजूद है तो उन्हें विकसित करने हेतु अथवा नये सिरे से आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण कर इन संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। इसमें सभी प्रचलित खेल विद्या हेतु मैदान के अतिरिक्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, दल प्रबंधकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के लिए आवासन एवं अन्य सुविधाये होगी। इन अवसंरचनाओं के निर्माण से पूरे राज्य में खेल का माहौल विकसित होगा।	एक सप्ताह।

हस्ताक्षर :– Rajender 14.3.2024

नाम :–डॉ0 बी0 राजेन्दर

पदनाम :–प्रधान सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।